

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सिकहरना, ढाका।

पत्रांक - 744 / सिकहरना, ढाका, दिनांक- 02/06/2022

सेवा में,

अरुण कुमार,
अम्बरिया रुपहारा, चिरैया
पूर्वी चम्पारण।

विषय :- पुनरीक्षित कार्यादेश के संबंध में।

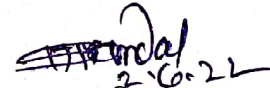
प्रसंग :- मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-94 दिनांक-30.05.2022 एवं अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-2074 दिनांक-05.05.2022

महाशय,

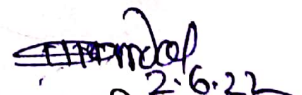
उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक-94 दिनांक-30.05.2022 के द्वारा MR-3054 अन्तर्गत ढाका से पकड़ीदयाल तक पथ निर्माण कार्य आपको आवंटित हुआ था, जिसका एकरारनामा आपके द्वारा दिनांक-17.03.2017 को किया गया था। मुख्य अभियंता-3 के प्रासंगिक पत्र के द्वारा पुनरीक्षित परिमाण विपत्र का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हुआ है। जिसके आलोक में किये गये एकरारनामा के राशि में आवश्यक संशोधन कर उक्त कार्य को दिनांक- 02.06.2022 से प्रारंभ का निर्धारित अवधि दिनांक- 01.07.2022 तक समाप्त करने हेतु पुनरीक्षित कार्यादेश दिया जाता है।

अतः आप संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता के देख-रेख में उक्त कार्य को मानक विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित अवधि में सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

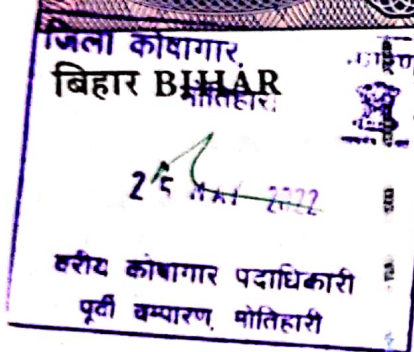
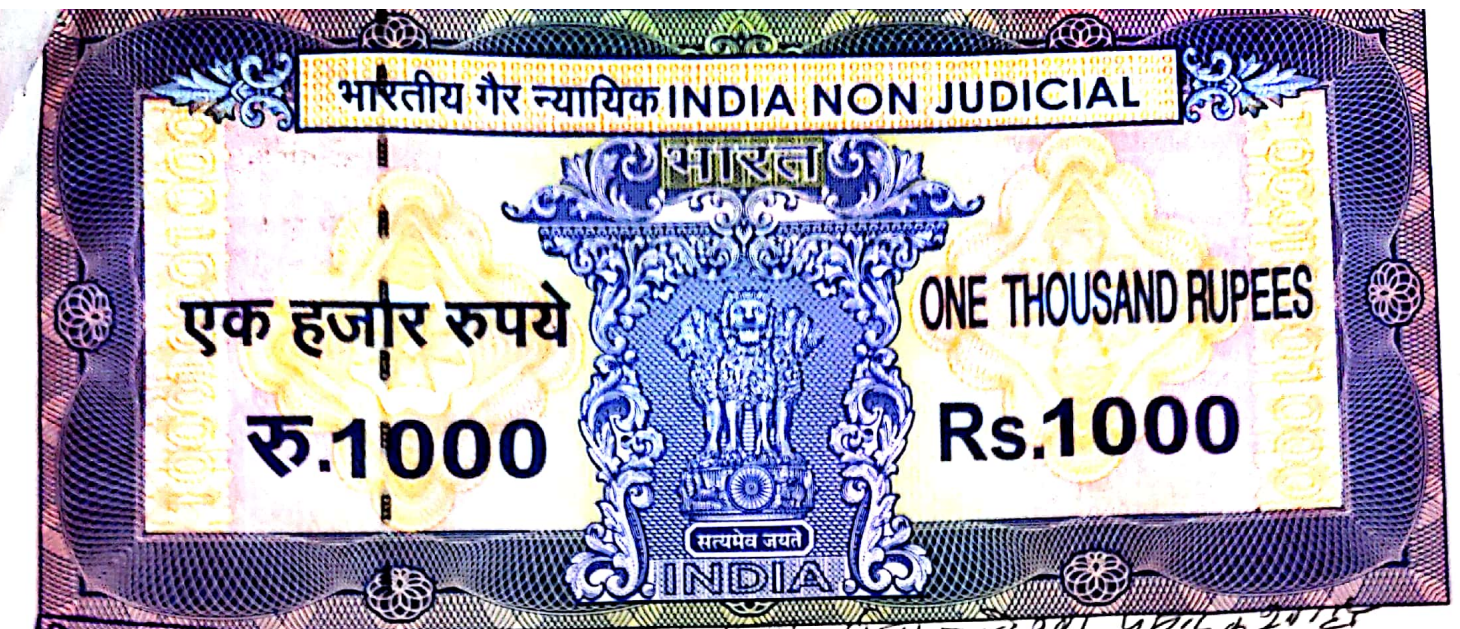

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल,
सिकहरना, ढाका।

प्रतिलिपि :- ज्ञापांक- 744 / दिनांक- 02/06/2022
संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य अपनी देख रेख में विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
सिकहरना, ढाका।

Arun Kumar

RWD, Dhaka



Supplementary Agreement

Agreement No.....24 MBD/ R.W.D. Dhaka/3054(MR) 2016-17

This agreement, made the _____ day of _____ 20_____,
Between Executive Engineer RWD (W) Div. , Dhaka of the one part, and **Arun Kumar, Ambariya, Ruphara, Chiraiya, Dist- East Champaran** of the another part. Whereas the Employer is desirous that the Contractor execute Construction of **Dhaka to Pakridayal Under 3054(MR)** and the employer has accepted the Bid by the contractor for the execution and completion of such works and the remedying of any defects therein at a cost of **Rupees 74,86000.00 (Rupees Seventy four Lac Eighty Six Thousand) Only**

NOW THIS REVISED AGREEMENT WITNESSETH as follows:

1. In this Revised Agreement, words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the Conditions of Contract hereinafter referred to, and they shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement.
2. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as hereinafter mentioned, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute

Arun Kumar

[Signature]
Executive Engineer
R. W. D. (Works)
Division. Dhaka
02/06/22
02/06/22

..... Has been revised

Name of Contractor :- **Arun Kumar, Ambariya, Ruphara, Chiraiya,
Dist- East Champaran**

Name of Work :- **3054(MR) के अधीन Dhaka to Pakridayal तक पथ
निर्माण कार्य।**

Previous Agreement Value :- Rs.

**Supplementary Agreement Value :- Rs. 74,86000.00 (Rupees Seventy four Lac
Eighty Six Thousand)**

Performance Security & Add. PS. – (Required Amount)

Submitted By Contractor Rs. (Amount) –

Rate :-

Date of Work Order :- 02.06.2022

Revised BOQ Item of Work :-

Contract Date of Completion :- 01.07.2022

Arun Kumar

[Signature]
Executive Engineer
R. W. D. (Works)
Division. Dhaka

[Signature]
02/06/22

[Signature]
02/06/22

मुख्य अभियंता -3 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक:- II/मु0अ0-3,त0स्वी0-07-20/22

पटना दिनांक:-

प्रेषक,

मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, मोतिहारी।

विषय:- शीर्ष नई अनुरक्षण नीति 2018 (3054) योजना अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, ढाका के अधीन बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों के पुनर्स्थापन हेतु प्राप्त 01 अदद पथों के प्राक्कलन पर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग:-आपका पत्रांक-418 अनु0 दिनांक-20.05.2022 एवं अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार का

पत्रांक-2074 अनु0 दिनांक-05.05.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा प्राप्त कार्य प्रमंडल, ढाका के अधीन स्वीकृत पथ के प्राक्कलन पर विभागीय पत्र में दिये गये निदेश के आलोक में पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान कर लौटाया जा रहा है जिसकी विवरणी निम्न है:-

Sl. No	Name of Division	Name of Scheme	Length (in KM)	Department Ref Lett. No./Date	A.A. Amount (in Lakh) Construction Cost & Maintanance Cost	Revised T.S. Amount (in Lakh) (At. Agmt. Rate)	FDR Amount (in Lakh) (At. Agmt. Rate)
1.	Dhaka	ढाका से पकड़ीदयाल पथ	8.00	5107/20.12.16	372.552	445.66	74.869

- निर्माण कार्य 3054 योजना की मागदाशिका के अनुरूप किया जाएगा।
- स्वीकृत प्राक्कलन की जाँच अधीक्षण अभियंता, अपने स्तर से कर लेंगे यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो, तो मुख्यालय को सूचित करेंगे।
- समर्पित किए गए प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति इस आधार पर दी जाती है कि प्रस्तुत किए गए प्राक्कलन वास्तविक कार्य स्थल के निर्माण के लिए कार्य स्थल के अनुरूप तैयार की गई है, जिसमें पथ एवं पुल निरूपण सम्बंधित सारी आवश्यकता पूरी कर ली गई है।
- अधीक्षण अभियंता, पथों का निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कार्यों के संबंध में समीक्षात्मक टिप्पणी मुख्यालय को 5वीं तिथि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- पुनरीक्षित प्राक्कलन के नये मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के दर से निर्धारित होगी, जिसका तात्पर्य यह है कि प्राथमिक एकरारनामा के समय सक्षम पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर अतिरिक्त मद की दर के लिए मार्गदर्शक होगी। यह उससे कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में यह प्राथमिक एकरारनामा की दर से अधिक नहीं होगी। प्राक्कलन की स्वीकृति दरों की स्वीकृति नहीं समझी जाये।
- पुनरीक्षित प्राक्कलन का दर मूल एकरारनामा के दर के समान होगा तथा नया मद का दर भी मूल एकरारनामा के दर पर आधारित होगा।
- अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मोतिहारी ऐसे मदों के दर जो अनुसूचित दर में नहीं हैं, कर दर अपने अंचल स्तर से राज्यस्तरीय, अनुसूचित दर निर्धारण समिति के द्वारा अनुमोदित सामाग्रियों के

Anny Kumar

26.22
Executive Engineer
R. W. D. (Works)
Division, Dhaka
02/06/22

दर के आधार पर MORD Data book analysis के आधार पर दर विश्लेषण करते हुए मुख्यालय को सूचित करेंगे। ताकि मुख्यालय अनुसूचित दर निर्धारण समिति की बैठक में उसका अनुमोदन का S.O.R तैयार करने की दिशा में कार्रवाई की जा सके।

9. स्थल पदाधिकारी द्वारा लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर मिट्टी की मात्रा की गणना कर भुगतान किया जायेगा।

10. अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मोतिहारी को निदेश दिया जाता है कि नये मद का दर विश्लेषण जाँच कर संतुष्ट हो लें एवं पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के उपरान्त लोक निर्माण संहिता के सुसंगत कंडिका के अनुरूप अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

अनु0- स्वीकृत प्राक्कलन की मूल प्रति।

विश्वासभाजन

ह0/-

मुख्य अभियंता-3, पटना

ज्ञापांक:- 94

पटना, दिनांक:- 30-5-22

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, ढाका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


मुख्य अभियंता-3, पटना